

¹[नियम 138ख : दस्तावेजों और वाहनों का सत्यापन

- (1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, समुचित अधिकारी को मालों के सभी अन्तर्राज्यिक और अंतराज्यीय संचलन के लिए भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-वे बिल का सत्यापन करने के लिए किसी वाहन को रोकने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।
- (2) आयुक्त, उन स्थानों पर, जहां माल के संचलन का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, रेडियो आवर्ती पहचान प्रवाचक संस्थापित कराएगा और ज्ञानो के संचलन का सत्यापन ऐसे युक्ति प्रवाचकों के माध्यम से वहां किया जाएगा, जहां ई-वे बिल उक्त युक्ति के साथ प्रतिचित्रित किया गया है।
- (3) प्रवहणों का वास्तविक सत्यापन आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत उचित अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा :

परन्तु कर अपवंचन पर विनिर्दिष्ट सूचना के प्राप्त हो जाने पर, विनिर्दिष्ट प्रवहण का वास्तविक सत्यापन आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी अन्य अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा नियम 138ख प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 15/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिवाय नियम 138 (7) के सभी नियम दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी किये गये हैं।

पहले ये नियम निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये

1. अधिसूचना क्रमांक 27/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.08.2017।
2. अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 23.01.2018।